राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांकः प.9 (16)गृह–5/2020 जयपुर, दिनांक 13.05.2020

आदेश

राज्य में कोविड–19 का प्रकोप है एवं इस बाबत् राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज ऑर्डिनेन्स, 2020 के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 03.05.2020 भी जारी कर दी गई है।

चूंकि राज्य में देश एवं विदेश से अनेक प्रवासियों का आगमन है एवं वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जन सुरक्षा के उद्देश्य से उक्त अध्यादेश की धारा 4(1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा समस्त प्रवासी, जिन्होंने हाल ही राज्य में प्रवेश किया है, अथवा आगामी दिनों में आने वाले हैं, के सम्बन्ध में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. समस्त उपरोक्त प्रवासियों की स्क्रीनिंग एवं पंजीकरण किया जायेगा।
2. स्क्रीनिंग में जिन प्रवासियों में कोविड–19 से सम्बन्धित किसी प्रकार के लक्षण पाये जाते हैं, उनको क्वारनटीन अवधि/स्वस्थ होने तक कोविड केयर सेन्टर में रखा जायेगा।
3. अन्य प्रवासियों को अनिवार्य रूप से 14 दिनों के लिए होम क्वारनटीन किया जायेगा। जिनको होम क्वारनटीन करना सम्भव नहीं है, उनको जिला प्रशासन द्वारा स्थापित क्वारनटीन केन्द्र, जो उनके निवास स्थान से निकटतम हो, में 14 दिनों के क्वारनटीन के लिए रखा जायेगा। इन सब की समय–समय पर चिकित्सा दल द्वारा जाँच की जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(राजीव स्वरूप)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव,
4. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान
5. उप सचिव, मुख्य सचिव
6. समस्त सम्भागीय आयुक्त
7. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर
8. पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, समस्त रेंज
9. समस्त कलेक्टर्स एवं जिला मजिस्ट्रेट
10. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर
11. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

(पी.सी.बेरवाल)
विशिष्ठ शासन सचिव, गृह